न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. दिनेश राय सापेला, आर.ए.एस.)

मियाद प्रार्थना पत्र संख्याः 21/2023

प्रार्थीगण

श्रीमती सोनी देवी पुत्री रुगनाथराम जी पत्नी नारायणलाल जी, जाति– कलबी, निवासी– मीठन, हाल निवासी– कलबीवास, वासन, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही

बनाम

अप्रार्थीगण

(1) श्री प्रागाराम पुत्र रुगनाथराम जी, जाति– कलबी, निवासी– मीठन, तहसील– रेवदर, जिला–सिरोही

(2) श्री वणाराम पुत्र रुगनाथराम जी, जाति– कलबी, निवासी– मीठन, तहसील– रेवदर, जिला–सिरोही

(3) श्री केसाराम पुत्र रुगनाथराम जी, जाति– कलबी, निवासी– मीठन, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही

(4) राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, रेवदर, जिला– सिरोही

"प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम"

उपस्थितिः

1. अधिवक्ता श्री नरपत सिंह देवड़ा, प्रार्थी अपीलार्थी की ओर से
2. अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह आढ़ा, अप्रार्थी संख्याः 1 से 3 की ओर से
3. पेरोकार सरकार, अप्रार्थी संख्या–4 की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 08 अगस्त, 2024**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी अपीलार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र तहसीलदार, रेवदर द्वारा ग्राम मीठन, पटवार हल्का मारोल के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1143 दिनांक 05.7.2022 को निरस्त कराने हेतु प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत अपील विलम्ब से इस न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने से विलम्ब की अवधि को कन्डोन कराने हेतु भारतीय परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अर्न्तगत अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या–1 से 3 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह आढा उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी संख्या– 4 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुये। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की ओर से प्रार्थना पत्र का जवाब भी प्रस्तुत हुआ।

(3) उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री देवड़ा ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध एक अपील इस न्यायालय में धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत तहसीलदार, रेवदर द्वारा ग्राम मीठन, पटवार हल्का मारोल के स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 1143 दिनांक 05.7.2022 को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत की है। यह कि ग्राम मीठन, पटवार हल्का मारोल के खसरा संख्या 204, 171, 170, 142 में प्रार्थी के पिता स्वर्गीय रुगनाथराम पुत्र धुडाजी, जाति– कलबी, निवासी– मीठन की कृषि भूमि आई हुई थी। यह कि उक्त भूमि, प्रार्थी के पिता रुगनाथराम जी के पैतृक हक हिस्से में आई भूमि है। रुगनाथराम जी की मृत्यु के बाद रुगनाथराम जी के हक हिस्से की भूमि ... 1/4 हक हिस्से की भूमि पर

......पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 11:00:07 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र संख्याः 21/2023

अपीलार्थी बतौर उत्तराधिकारी काबिज होकर बिना किसी रुकावट के शान्तिपूर्वक काश्त करती आ रही है। यह कि रुगनाथ पुत्र धुडाजी, जाति– कलबी, निवासी– मीठन के उत्तराधिकारी प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 3 है, लेकिन प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के पिता रुगनाथराम जी की मृत्यु होने पर उक्त वर्णित कृषि भूमि का अप्रार्थी संख्या 1 से 3 ने राजस्व कार्मिकों व अधिकारियों को गलत तथ्य प्रस्तुत कर उत्तराधिकार का नामान्तरकरण अपने नाम से दर्ज करवाकर स्वीकृत करवा लिया, जबकि अपीलार्थी भी मृतक खातेदार रुगनाथराम जी की जायन्दा पुत्री होने से उक्त वर्णित कृषि भूमि में अपने हक हिस्से अनुसार नाम दर्ज करने करवाने की कानूनन अधिकारी है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पिता की सम्पति में पुत्री को भी पुत्र के समान बराबर हक हिस्सा प्राप्त होता है। प्रार्थी के पिता की मृत्यु दिनांक 02.1.2015 को होने के बाद कई बार प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 से 3 व राजस्व अधिकारियों को प्रार्थीया के पिता का विरासत का नामन्तरकरण दायर करवाने का अनुरोध किया, लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 से 3 टालमटोल करते रहे तथा प्रार्थीया को सूचना दिये बिना ही गलत तथ्य प्रस्तुत कर इन तीनों ने स्वयं के नाम से नामान्तरकरण दायर करवाकर स्वीकृत करवा लिया। यह कि तहसीलदार, रेवदर द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के पक्ष में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1143 दिनांक 05.7.2022 के दायर होने व स्वीकृत होने की जानकारी प्रार्थीया को किसान क्रेडिट कार्ड ऋण हेतु जमाबन्दी की जरुरत पडने पर पटवारी हल्का, मीठन से सम्पर्क करने पर हुई, जिस पर प्रार्थीया ने प्रतिलिपि की मांग की, जो दिनांक 24.4.2023 को मिलने पर जानकारी तिथि से अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत की है। यह कि अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने में प्रार्थी की कोई बदनियति या लापरवाही नही रही है। उक्त कृषि भूमि पुश्तैनी भूमि होने से प्रार्थीया का इस भूमि में जन्म से हक अधिकार है। यदि इस विलम्ब को माफ नही किया जाता है तो प्रार्थीया के महत्वपूर्व मूलभूत अधिकार प्रभावित होंगे तथा प्रार्थीया के साथ नाइन्साफी होगी। अतः प्रार्थी अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 1143 दिनांक 05.7.2022 के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा किया जावे एवं अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करने के आदेश पारित किये जावे। जबकि अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के विद्वान अधिवक्ता ने जवाब में अंकित कथनों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रार्थीया का विवाह कई वर्षो पूर्व सामाजिक रिती रिवाज के अनुसार नारायणलाल जी कलबी, निवासी– वासन के साथ हुआ था तथा प्रार्थीया के पिता रुगनाथराम जी ने शादी के समय ही प्रार्थीया को स्त्रीधन के रुप में रुपये जेवरात आदि दे दिये थे, तब से प्रार्थीया अपने ससुराल ग्राम वासन में निवास करती है। यह कि प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के पिता रुगनाथराम जी कलबी की मृत्यु के बाद उनके हक हिस्से की कृषि भूमि का नामान्तरकरण अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के पक्ष में दायर होने की अपीलार्थी को प्रारम्भ से ही जानकारी रही है। यह कि प्रार्थीया ने उक्त नामान्तरकरण का हवाला देते हुए झूठे कथनों के आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 से 3 व अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध दिनांक 16.3.2023 को पुलिस थाना, रेवदर में दर्ज करवाई थी। उक्त रिपोर्ट के साथ राजस्व रेकर्ड की नकलें प्रस्तुत करने का हवाला दिया है तथा वे सभी नकले दिनांक 31.1.2023 को पटवारी हल्का, मारोल से प्रमाणित कर प्राप्त की गई है, इससे यह प्रमाणित होता है कि प्रश्नगत नामान्तरकरण की जानकारी प्रार्थीया को पूर्व से ही होने के उपरान्त भी प्रार्थी अपीलार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 से 3 को हैरान व परेशान करने की नियत से जानबूझकर अपील विलम्ब से प्रस्तुत की है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील भी मियाद बाहर होने से खारिज की जावे। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई है एवं धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर उचित आदेश इस न्यायालय द्वारा पारित किया जावे।

......पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 11:00:07 IST
Reason: SelfAttested

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम मीठन, पटवार हल्का मारोल के खसरा संख्या 142, 170, 171 व 204 में रुघनाथ पुत्र धुडा जी के हक हिस्से की स्थित कृषि भूमि का खातेदार रुघनाथ पुत्र धुडा जी की मृत्यु के बाद पटवारी हल्का, मीठन द्वारा उत्तराधिकार का नामान्तरकरण संख्या 1143 दायर किया गया, जिसें तहसीलदार, रेवदर द्वारा दिनांक 05.7.2022 को स्वीकृत किया गया है, जिसको निरस्त कराने हेतु प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत इस न्यायालय में अपील विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने से विलम्ब की अवधि को कन्डोन कराने हेतु भारतीय परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अर्न्तगत यह प्रार्थना पत्र, अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

इस संबंध में प्रार्थी का यह कथन है कि ''प्रार्थीया को किसान क्रेडिट कार्ड ऋण हेतु जमाबन्दी की जरुरत पडने पर पटवारी हल्का, मीठन से सम्पर्क करने पर तहसीलदार, रेवदर द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के पक्ष में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1143 दिनांक 05.7.2022 के संबंध में जानकारी हुई, जिस पर प्रार्थीया ने प्रतिलिपि की मांग की, जो दिनांक 24.4.2023 को मिलने पर जानकारी तिथि से अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत की है।'' प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की ओर से अप्रार्थीगण के जवाब में अंकित तथ्यों के कथन में ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही हुई है जिससे यह साबित हो सके कि प्रश्नगत नामान्तरकरण के संबंध में प्रार्थी को प्रारम्भ से ही जानकारी रही हो। चूंकि प्रार्थी ने तहसीलदार, रेवदर द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1143 दिनांक 05.7.2022 को निरस्त कराने हेतु इस न्यायालय में दिनांक 19.5.2023 को अपील प्रस्तुत की है, जो प्रार्थी के कथनानुसार जानकारी तिथि से अन्दर मियाद 30 दिन में प्रस्तुत की गई है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भावनापूर्ण है। यह भी उल्लेखनीय है कि जहां किसी व्यक्ति को उसके अधिकारों से वंचित होना पड़ रहा हो या कोई कपट संधि या दुर्व्यपदेशन हुआ है, तो ऐसे आदेशों के मामलों में परिसीमा अवधि लागू नही होती है। ऐसी स्थिति में, अपील पर गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना ही हमारे विनम्र मत में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अर्न्तगत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम को स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को कन्डोन किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अर्न्तगत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम विरुद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, रेवदर द्वारा ग्राम मीठन, पटवार हल्का मारोल के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1143 दिनांक 05.7.2022 के विरुद्ध प्रार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को कन्डोन किया जाता है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08 अगस्त, 2024 को सर—ए—ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 11:00:07 IST
Reason: SelfAttested